न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 98/2018 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2018/00126**
दायर दिनांक :– 09.10.2018 **निर्णय दिनांक :– 14.02.2025**

1. चैनसिंह पुत्र सगतसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. रेंवतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति रापजूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
2. नारायणसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
3. सुमेरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
4. गायड़सिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
5. हुकमसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
6. भीमसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
7. चन्द्रकंवर पुत्री सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी बामणू तहसील व जिला फलोदी
8. दरियावकंवर पुत्री सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी बाराकलां तह. ओसिया जिला जोधपुर
9. दाखाकंवर पत्नी भूरसिंह जाति रापजूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
10. मोतीसिंह पुत्र भूरसिंह जाति रापजूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
11. अमरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति रापजूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
12. नरपतसिंह पुत्र भूरसिंह जाति रापजूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी
13. पेंपसिंह पुत्र भूरसिंह जाति रापजूत निवासी बैंगटीखुर्द तहसील व जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने एक नियमित राजस्व वाद घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। सरहद मौजा दुर्जनी तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 380 रकबा 119–05 बीघा स्थित है। यह भूमि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण एवं गजेसिंह वगैरा पि. प्रतापसिंह की कदिमी पीढियों से चली आ रही पैतृक सहदायिकी की है। प्रार्थी के पिता सगतसिंह एंव काका सुल्तानसिंह और भूरसिंह पि. मूलसिंह तीन सगे भाई थे प्रार्थी के पिता सगतसिंह का भू प्रबन्ध के पहले देहान्त हो गया था प्रार्थी वक्त भू प्रबन्धक अवयस्क था और अपने काका सुल्तानसिंह, भूरसिंह, किसनसिंह के साथ संयुक्त हिन्दू परिवार में रहने के फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम भू प्रबन्ध कअधिकारियों ने भूल एवं त्रुटि से दर्ज अभिलेख नहीं किया ओर परिवार के कर्ता खानदान सुल्तानसिंह एवं भूरसिंह पि. मूलसिंह के नाम 1/2

14/2/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हिस्सा दर्ज कर दिया। सुल्तानसिंह पुत्र मूलसिंह का देहान्त हो चुका है, सुल्तानसिंह के अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 एंव भूरसिंह के अप्रार्थीगण संख्या 9 ता 13 विधिक उत्तरजीव है। किसनसिंह पुत्र मूलसिंह लाऔलाद फौत हो गये। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं गजेसिंह वगैरा पि. प्रतापसिंह की पीढी दर पीढी कदिमी पैतृक चली आने और प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही सहदायिक कृषक होने से हित निहित होने और पीढियों से कब्जा काश्त होने के बावजूद वक्त भू प्रबन्धक संम्वत 2015 में प्रार्थी का नाम त्रुटि से सह हिस्सेदार कृषक के रूप में दर्ज नहीं किया जाने से प्रार्थी अपने काका सुल्तानसिंह एवं भूरसिंह के साथ 1/2 हिस्सा में अपना नाम दर्ज करवाकर अभिलेख दुरूस्ती करवोन और 1/6 हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का हकदार है। प्रार्थी का वाद मजबूत साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत है। अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने का कोई जायज एवं कानूनन हक हासिल नही है, अगर अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी के जायज खातेदारी हकूको पर कुठाराघात होगा और प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा प्रार्थी दावेदार है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व 1/6 हिस्सा पर अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला वाद जारी करवाने का हकदार है। जिसका यह प्रार्थना पत्र प्रस्तत है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त ही तय किया जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)